देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/palm/11 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 4 जून 2022

ऐतिहासिक स्मारक "महारानियों की छतरियाँ"
पुरातत्व विभाग के साथ साथ देवस्थान विभाग से भी पंजीकृत!!!
लेकिन आबकारी विभाग को नहीं परवाह!!!

छोटी काशी के गली मोहल्ले मे!!!
दारू बिक रही खुल्ले मे!!!

क्या संबन्धित आबकारी निरीक्षक सार्वजनिक तौर पर इस मदिरा दुकान और तीनों धार्मिक स्थलो के बीच की दूरी नपवाने को सहमत है?

आबकारी विभाग के जयपुर ईस्ट के वार्ड संख्या 12,21,22,26,76 मे स्थित दुकान संख्या 7,8,9 योजना-A,गोविंदपुरी,रामगढ़ रोड,आमेर रोड पर स्थित लाईसेन्सी तुषार चौधरी का है मामला

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है तीन धार्मिक स्थलो से 200 मीटर की दूरी के अंदर चल रही शराब की कम्पोजीट दुकान "गब्बर वाईन्स" का मामला

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 मे स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्कूल,कॉलेज,अस्पताल, धार्मिक स्थल,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,लेबर कॉलोनी के 200 मीटर के दायरे मे कोई भी शराब की दुकान नहीं लगाई जाएगी|गौरतलब है कि आबकारी विभाग द्वारा उन्ही धार्मिक/पुजा स्थलो को राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अंतरगर्त धार्मिक/पुजा स्थल की श्रेणी मे माना जाता है जो कि देवस्थान विभाग/वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार अधिसूचित होते है|लेकिन आबकारी विभाग के विद्वान एवं होनहार अधिकारियों द्वारा, जयपुर ईस्ट के वार्ड संख्या 12,21,22,26,76 मे देव स्थान विभाग से अधिस्वीकृत तीन धार्मिक स्थलो यथा:-

1. जैन समुदाय की प्रसिद्ध नसिया **"श्री दिगंबर जैन नसिया,श्योजी गोधा"**,
2. विश्व प्रसिद्ध और एतिहासिक महत्व रखने वाली **"महारानियों की छतरियाँ"**
3. और **"श्री रघुनाथजी राधा निवास मंदिर"**

से महज 200 मीटर की दूरी के अंदर दुकान संख्या 7,8,9 योजना-A,गोविंदपुरी,रामगढ़ रोड,आमेर रोड पर लाईसेन्सी तुषार चौधरी की शराब की कम्पोजीट दुकान की लोकेशन पास कर दी गयी|

First India

www.firstindia.co.in | https://firstindia.co.in/epapers/jaipur | twitter.com/thefirstindia | facebook.com/thefirstindia | instagram.com/thefirstindia

Liquor shops in restricted areas, Excise officials turns a blind eye

Liquor is being sold openly near religious places, schools etc

Nirmal Tiwari

Jaipur: The inspectors of the Excise Department seem to have turned blind eye to the Excise rules being flouted near religious places, schools, heritage buildings, and other places where selling of liquor is restricted.

First of all, the liquor shop 'Liquor World' was approved and opened on the hospital road right in front of Bhattarakji Ki Nasia where on one side SMS Hospital is located while on the side bungalows of Chief Secretary and DGP are there.

Excise Inspector not only cleared the location but also passed very large size of the shop, which is housed in an area of equal to 20 liquor shops. Neither the rate list nor name of licensee has been displayed there.

In ward numbers 12, 21, 22, 26, 76 of Jaipur East, Shop no. 7, 8, 9 Yojana-A, Govindpuri, Ramgarh Road, Amer Road have been approved and shops opened by licensee Tushar Chaudhary at sensitive location.

The shop named Gabbar Vines is running in front of famous Shri Digambar Jain Nasiya, Shyoji Godha and Raghunathji Radha Niwas temple. Shop has also been opened near Maharani Ki Chhatriyan on the recommendation of excise inspector Karnika Mehta.

In fact, for the last two years, instead of lottery, the state government has started the auction system of liquor shops and most of the liquor shops are being redeemed by old and big contractors who are ruling the roost.

OPEN LOOT!

At shop of licensee Meenu Tyagi in Aatish Market, liquor was being sold openly after 8 pm on May 23. Team bought a bottle of Beer for Rs 170.

At Shiv Bhan Kanwar's shop at Riddhi Siddhi chauraha, beer was sold for Rs 170 after 8 pm. Beer was given for Rs 180 at Babu Khan's shop in front of KS Fort.

At shop of Shahid Qureshi near Kalpna Cargo in Gopalbari a quarter was sold for Rs 160. Overrate was also there at the shop of Yasmin Bano in front of railway station, Munshi Khan's shop & several other shops.

इतना ही नहीं इस प्रकरण का फ़र्स्ट इंडिया न्यूज द्वारा दिनांक को साँय 7 बजे फ़र्स्ट इंडिया न्यूज़ पर प्रसारित खबर **"धर्मनगरी मे पनपती शराब संस्कृति"** के द्वारा उजागर भी किया गया था|

लेकिन इस मामले मे हमारे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 052202712726731 दिनांक 28/05/2022 के क्रम मे जवाब देते हुए आबकारी निरीक्षक जयपुर पूर्व,सुश्री/श्रीमति कर्णिका मेहता द्वारा अपने पत्रांक 1513 दिनांक 30/05/2022 द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा **पूर्ण संतुष्टि एवं जांच के उपरांत ही राजस्व हित मे** इस दुकान की अनुशंसा कर,विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी है|

इसके साथ ही अपने पत्र मे विद्वान आबकारी निरीक्षक द्वारा यह गलत और भ्रामक तथ्य देकर कि मदिरा दुकान से सुगम यातायात मार्ग से परिवाद मे उल्लेखित समस्त धार्मिक स्थल 200 मीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित है|जबकि वास्तविकता मे तीनों धार्मिक स्थल उक्त मदिरा दुकान से 200 मीटर के अंदर अवस्थित है|

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर पूर्व

क्रमांक :- 573 दिनांक :- 30/05/2012

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर।

विषयः- राजस्थान सम्पर्क शिकायत सं.0522027127267 31के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्राप्त परिवाद के संदर्भ में निवेदन है कि बॉर्ड सं. 12(H),21(H),22(H),26(H),76(H),की मदिरा दुकान अनुज्ञाधारी तुषार चौधरी आबकारी नियमों की पालना में पूर्ण संतुष्टी एव जाँच के उपरान्त राजस्व हित में अनुशंषा कर विभागीय द्वारा स्वीकृत की गई है। मदिरा दुकान से सुगम यातायात मार्ग से परिवाद में उल्लेखित समस्त धार्मिक स्थल 200 मीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित है। मदिरा दुकान से निर्धारित दूरी पर कोई रजिस्टर्ड मंदिर अवस्थित नहीं है। न ही मदिरा दुकान की मौका जाँच में कोई जनविरोध उजागर हुआ है। मदिरा दुकान नवीन स्वीकृत है अतः समीपस्थ मदिरा दुकानत के संचालकों द्वारा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते अनावश्यक परिवाद पेश किये जा रहे प्रतीत होते है।

अतः परिवाद के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीया

आबकारी निरीक्षक
जयपुर शहर
(कुर्णिका मेहता)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर पूर्व

अपने जवाब मे विद्वान आबकारी निरीक्षक द्वारा यह तथ्य भी प्रमुखता से उल्लेखित किया है कि मौका जांच मे कोई जनविरोध उजागर नहीं हुआ है|लेकिन आप को बता दें कि मीडिया मे मामला उजागर होने के बाद कई धार्मिक समुदायो मे रोष व्याप्त हो रहा है और समुदायों का यह आक्रोश कभी भी भयंकर रूप धारण कर सकता है|लेकिन आबकारी विभाग को शायद इसकी परवाह नहीं है|

वैसे भी आपको बताना चाहूँगा की किसी भी प्रकार के जनविरोध के ना होने का बहाना बनाकर,कोई भी आबकारी अधिकारी राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 का उल्लंघन नहीं कर सकता और यदि करता है तो उक्त मामले मे मिलीभगत और भ्रष्टाचार की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता|सूत्रो के अनुसार यह तथ्य भी सामने आ रहा है कि मामले को शराब लाईसेन्सी के पक्ष मे रफा-दफा करने के लिए आबकारी अधिकारियों के नाम पर 3 लाख रुपए की मोटी रकम घूस के तौर पर ली जा चुकी है|

सूत्रो के अनुसार साल दो साल पहले इसी लोकेशन पर एक अन्य शराब लाईसेन्सी द्वारा शराब की दुकान खोली थी,लेकिन इन धार्मिक स्थलो और एतिहासिक स्मारक के कारण ही इसे बंद कर दिया गया था|

श्री रघुनाथ जी राधा निवास मंदिर
शराब की दुकान
श्री दिगंबर जैन नसिया,श्योजी गोधा
महारानियों की नसिया
Search this area
Trimrooms Mount Blue - Jaipur
Kotak Mahindra Bank
State Bank of India ATM
Mount Rd
Amer Rd
आमेर मार्ग
Wallpaper store
Cluster hawa Mahal 2
Google
अंग्रेजी शराब बीयर
देशी शराब
ENGLISH WINE & BEER SHOP
MAHARAJA SAWAI MAN SINGH II
MUSEUM TRUST
THE CITY PALACE, JAIPUR
MAHARANIYON KI CHHATRIYAN

शराब की दुकान
महारानियों की छतरियाँ
दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर से भी कम

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर

अधिसूचना जनवरी 29,1997 में सम्मिलित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों की सूची

मास्टर क्र.स.	मंदिर/संस्था/प्रन्यास का यूनीक कोड	मंदिर/संस्था/प्रन्यास का नाम	पता	तहसील	जिला	अधिसूचना का पृष्ठ	अधिसूचना का क्रमांक	मंदिर की श्रेणी	मुख्य देवता/भगवान का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	11634	मंदिर श्री रघुनाथ जी	राधा निवासए रामगढ़ रोड के सामने, आमेर रोड	जयपुर	जयपुर	43	17	प्रत्यक्ष प्रभार	विष्णु जी
41	11623	मंदिर श्री महारानी की छत्रिया उर्फ ईश्वर जी की छत्री	आमेर रोड	जयपुर	जयपुर	43	41	प्रत्यक्ष प्रभार	

देवस्थान विभाग,राजस्थान सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मंदिर श्री रघुनाथ जी राधा निवास,रामगढ़ रोड के सामने,आमेर रोड और मंदिर श्री महारानी की छतरियाँ उर्फ ईश्वर जी की छतरी दोनों राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिर घोषित है|जिन्हे अधिसूचना क्रमांक 17 और 41 पर पंजीकृत कर रखा है|

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

8.4.1963 से 31.3.2017 तक

ट्रस्ट सूची मंदिरान जयपुर

क्र.सं.	प्रन्यास का नाम	प्रन्यास का पता	कार्यवाहक प्रन्यासी का नाम	पंजीकृत संख्या एवं दिनांक	
1	2	3	4	5	6
	अमर चन्द जी				
27.	दिगम्बर जैन मंदिर लश्कर	रास्ता बोडियान, मोदी खाना, जयपुर	श्री गुलाब चन्द	111/64	9.4.64

देवस्थान विभाग,राजस्थान सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार जैन समुदाय की प्रसिद्ध नसिया "श्री दिगंबर जैन नसिया,श्योजी गोधा" का संचालन ट्रस्ट दिगंबर जैन मंदिर लश्कर,रास्ता बोडियान,मोदी खाना,जयपुर द्वारा किया जाता है,जिसकी देवस्थान विभाग मे पंजीकरण संख्या 111/64 और पंजीकरण दिनांक 09/04/1964 है|

राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित स्मारकों की सूची
(सुलभ संदर्भार्थ)
List of State (Archeology & Museum Department) Protected Monuments in Rajasthan

Updated upto 16.06.2017

S.No.	Name of the Monument	Place
150	Queens Cenotaphs	Amber Road

देवस्थान विभाग,राजस्थान सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार महारानियों की छतरियाँ राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित स्मारकों की सूची मे भी शामिल है|

जवाब मांगते सवाल?

1. आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता की जांच के अनुसार उक्त तीनों धार्मिक स्थल यथा;जैन समुदाय की प्रसिद्ध नसिया **"श्री दिगंबर जैन नसिया,श्योजी गोधा"**,विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक महत्व रखने वाली **"महारानियों की छतरियाँ"** और **"श्री रघुनाथजी राधा निवास मंदिर"** देवस्थान विभाग की सूची मे शामिल है अथवा नहीं?

2. क्या लोकेशन स्वीकृत करने से पूर्व संबन्धित आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता द्वारा इस मदिरा दुकान से 200 मीटर मे अंदर स्थित उक्त धार्मिक स्थलो की वास्तविक दूरी मौके पर जाकर,नापी गयी थी?

3. आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता के पत्र अनुसार यदि यह तीनों धार्मिक स्थल मदिरा दुकान से 200 मीटर के अंदर नहीं है तो इन तीनों धार्मिक स्थलो की इस मदिरा दुकान से वास्तविक दूरी कितनी है?

4. क्या आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता सार्वजनिक तौर पर मीडिया के बीच इस दुकान की उक्त धार्मिक स्थलो से दूरी नपवाने को तैयार है?

5. आखिर क्यूँ आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता ने अपने पत्र मे इस दुकान की लोकेशन को राजस्व हित मे स्वीकृत करने पर ज़ोर दिया गया?क्या आबकारी विभाग की अन्य दुकाने विभाग को राजस्व नहीं देती?

6. आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता की अनुशंसा पर जिन अधिकारियों द्वारा इस दुकान की लोकेशन स्वीकृत की गयी है आखिर उनके द्वारा इस मामले की जांच क्यूँ नहीं की गयी,जबकि वर्तमान अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी गौरवमणि जौहरी का नाम पूर्व मे भी कई बार नियम विरुद्ध लोकेशन पास करने के प्रकरणो मे आ चुका है?

7. क्या राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अनुसार किसी प्रकार का जनाक्रोश नहीं होने पर,किसी धार्मिक स्थल से 200 मीटर के अंदर किसी शराब की दुकान की लोकेशन स्वीकृत की जा सकती है?

8. अपने जवाब मे विद्वान आबकारी निरीक्षक द्वारा यह तथ्य भी प्रमुखता से उल्लेखित किया है कि मौका जांच मे कोई जनविरोध उजागर नहीं हुआ है|लेकिन आप को बता दें कि मीडिया मे मामला उजागर होने के बाद कई धार्मिक समुदायो मे रोष व्याप्त हो रहा है और समुदायों का यह आक्रोश कभी भी भयंकर रूप धारण कर सकता है|ऐसी किसी अनहोनी के आबकारी विभाग के कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार होंगे?

9. क्या यह तथ्य सही है कि मामले को शराब लाईसेन्सी के पक्ष मे रफा-दफा करने के लिए आबकारी अधिकारियों के नाम पर 3 लाख रुपए की मोटी रकम घूस के तौर पर ली जा चुकी है?

10. क्या यह सही है कि साल दो साल पहले इसी लोकेशन पर एक अन्य शराब लाईसेन्सी द्वारा शराब की दुकान खोली थी,लेकिन इन धार्मिक स्थलो और एतिहासिक स्मारक के कारण ही उसे बंद कर दिया गया था?

11. क्या शराब पीने वाला कोई शराबी सुगम यातायात को मानते हुए,शराब खरीदने जाता है?क्या आबकारी विभाग जनता को सुगम यातायात की पालना करते हुए शराब खरीदने के लिए जागरूक करता है?

12. क्या नियम विरुद्ध शराब की दुकान की लोकेशन पास करने के इस मामले मे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जांच करेगा??